संख्या-19/2015/87/22-4-15-48(66)/12

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 28 जनवरी, 2015

विषय- जिला कारागार, पीलीभीत में टाइप-2 के 24 नग आवासों के निर्माण हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 30087/नम-2, दिनांक- 21 अक्टूबर, 2014 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-1482/22-4-12-48(66)/12, दिनांक 13.02.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, पीलीभीत में टाईप-2 के 24 नग आवासों के निर्माण हेतु मूल स्वीकृत लागत रू0 170.70 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रश्नगत परियोजना के पुनरीक्षित आगणन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 244.18 लाख की लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, पीलीभीत में टाईप-2 के 24 नग आवासों के निर्माण हेतु रू0 2,44,18,000/-(रूपया दो करोड चौवालिस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अन्तर की धनराशि रू0 73,48,000/- (रूपया तिहत्तर लाख अडतालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार एवं योगफल में वृद्वि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी, वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जाय।

3- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन के मूल्यांकन से सम्बन्धित उद्वरण की छायाप्रति संलग्न है।

4- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 13.02.2013 में उलिलखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायसी भवन-700-अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 19/2015/87(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, पीलीभीत।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in